संचालनालय महिला एवं बाल विकास म.प्र.

विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष :0755-2550909, 2550918 फैक्स 0755-2550912

www.mpwcdmis.gov.in icpsbhopal@gmail.com

क्रमांक/ICPS/23/ 109 भोपाल दिनांक 25/4/2023

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–समस्त
मध्यप्रदेश।

विषयः– **बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड हेतु आचार संहिता अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने बावत।**

––––00––––

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के तहत् राज्य के प्रत्येक जिले में विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिये किशोर न्याय बोर्ड एवं देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों के निराकरण लिये बाल कल्याण समिति कार्यरत है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 (2) के तहत् किशोर न्याय बोर्ड एवं धारा 27 (9) के तहत् बाल कल्याण समिति को दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के तहत् महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा 103 (1) के तहत् किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति से जांच के दौरान दंड प्रकिया संहिता, 1973 में समन मामलों के विचारण के लिए निर्धारित प्रकिया का अनुसरण किये जाने का उल्लेख किया गया है।

न्यायिक क्षमताओं में कार्य करने वाले अभिकरणों से जुड़े पदाधिकारियों से उच्च स्तर के अनुशासन एवं निर्धारित दायित्वों के प्रभावी संपादन की अपेक्षा की जाती है। इस संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लोक सेवक एवं न्यायिक अधिकारीगण के लिये आचरण संहिता/अनुशासन नियम लागू किये गये हैं।

राज्य सरकार द्वारा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यगणों एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यगण हेतु आचरण संहिता लागू किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यगण हेतु निर्धारित आचरण संहिता **'परिशिष्ठ– अ'** पर संलग्न है। कृपया आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(डॉ. राम राव भोंसले)
आयुक्त
महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्यप्रदेश

निरंतर.....2

पृ0/कमांक/ICPS/2023 110 भोपाल, दिनांक 25/4/.2023

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार, किशोर न्याय समिति, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपसचिव, म.प्र.शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, संभाग समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवयश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति, जिला समस्त की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड, जिला समस्त की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्यप्रदेश
25.4.23

संचालनालय महिला एवं बाल विकास म.प्र.
विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल

आचार संहिता (Code of Conduct)

1. समिति/बोर्ड के सदस्य अपरिहार्य कारणों को छोड़कर (जैसे–शासकीय बैठक, प्रशिक्षण, कार्यशालायें, स्वास्थ्यगत समस्यायें) निर्धारित समस्त कार्यदिवस पर समय पर उपस्थित रहेंगे।
2. बैठक के दिन किसी अन्य कार्यक्रम में सम्मिलित होना कार्य के प्रति लापरवाही एवं अरूचि मानी जायेगी।
3. अध्यक्ष सदस्य वर्ष में तीन चौथाई बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करे। किन्ही कारणों से ऐसा नहीं कर सकते तो स्वयं ही समिति से त्याग–पत्र दे देवें।
4. समिति/बोर्ड के सदस्य बैठक हेतु निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचे एवं कम से कम 6 घंटे अनिवार्यतः उपस्थित रहें। उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक अटेंडेंस/सीसीटीवी के प्रोटोकॉल का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करेंगे।
5. अध्यक्ष/सदस्य अपने व्यक्तिगत मोबाईल या किसी अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण से बच्चे या उसके माता–पिता का कथन दर्ज ना करें।
6. समिति/बोर्ड की बैठक के मिनिट्स या बालक से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज एवं उनकी फोटो कॉपी किसी बाहरी व्यक्ति से साझा न करें।
7. बालक से संबंधित फाईल या दस्तावेज अपने व्यक्तिगत कस्टडी में न रखे।
8. समिति/बोर्ड के समक्ष विचाराधीन बालक से उसके आवास या अपने व्यक्तिगत कार्यालय में मुलाकात न करें।
9. फॉस्टर केयर, एडोप्शन, स्पॉसरशिप के फालोअप अथवा विशेष परामर्श की आवश्यकता वाले बालकों (विधि विवादित बालक को छोडकर) के लिए बालक के आवास में अथवा समिति के कार्यालय में मुलाकात की जा सकती है।
10. समिति/बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य के परिजन किसी विधि व्यवसाय से जुडे है, तो उनका हस्तक्षेप किसी भी प्रकरण में नहीं होना अपेक्षित है।
11. किसी भी प्रकरण से संबंधित समस्त जानकारी समिति/बोर्ड द्वारा जब तक अपेक्षित न हो गोपनीय रखी जायेगी।
12. बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य, समिति/बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय पर समिति/बोर्ड के बाहर किसी भी प्रकार की टिप्पणी न की जायें।
13. समिति/बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य द्वारा आदेश बच्चों के सर्वोत्तम हित में ही जारी किया जाना अपेक्षित है। किसी भी प्रकार के दबाव अथवा अन्य स्थितियों में बच्चों के हितों के विरूद्ध जारी आदेश अधिकारों का अतिक्रमण माना जायेगा।
14. समिति/बोर्ड अपने निर्णय आपसी सहमति से करेगी यदि किसी सदस्य के निर्णय में सहमति नहीं है तो उनके मत को कार्यवाही विवरण में उल्लेखित किया जाना आवश्यक है।
15. किसी सदस्य को प्रकरण से संबंधित कोई उपयोगी जानकारी बाहरी स्त्रोत से पता चलती है तो उसे अन्य सदस्यों से भी साझा किया जाये।
16. राज्य द्वारा आयोजित बैठक, कॉफ्रेंस वर्कशाप में नामांकित अध्यक्ष सदस्य अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। बगैर सक्षम स्वीकृति के अनुपस्थिति अथवा जारी प्रशिक्षण से प्रस्थान अनुशासनहीनता मानी जायेगी।

17. रोस्टर अनुसार अध्यक्ष/सदस्य बैठक करना सुनिश्चित करें। रोस्टर दिवस पर कार्यालय में बैठना सुनिश्चित करें एवं रोस्टर ड्यूटी की जानकारी समस्त पुलिस थाने, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल देखरेख संस्था को उपलब्ध कराये।
18. समिति/बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य अपने विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, व्हीकल, घर की नेमप्लेट पर या अन्य किसी भी स्थल पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट लेख नही करेंगे। विदित हो कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां समिति को हैं न की व्यक्तिगत अध्यक्ष/सदस्य को।
19. समिति/बोर्ड अनावश्यक पत्राचार किशोर न्याय समिति, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं वरिष्ठ कार्यालय को न करें, क्योंकि प्रायः शिकायतों/समस्याओं का निराकरण एवं मार्गदर्शन जिला स्तर पर स्थित बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया जा सकता है अन्यथा की स्थिति में अथवा राज्य स्तर से संबंधित होने से आयुक्त / संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित की जायें।
20. बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड चाईल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी एवं विभाग द्वारा जारी समस्त आदेशों/निर्देशों/गाइडलाइन्स/विभिन्न अधिनियिम/नियम इत्यादि का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें। नियमों के अंतर्गत कार्यवाही न किया जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
21. संस्थाओं का निरीक्षण समिति के समस्त सदस्यों द्वारा एक साथ किया जाये एकल सदस्य का निरीक्षण मान्य नहीं होगा।
22. बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य बालगृह (बालिका)/सम्प्रेक्षण गृह (बालिका) का भ्रमण किसी महिला सदस्य की उपस्थित में ही करें।
23. बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य बालगृह (बालिका)/ सम्प्रेक्षण गृह (बालिका) का भ्रमण विशेष परिस्थितियों को छोड़कर यथा–संभव कार्यालयीन समय में ही किया जाये।
24. रविवार एवं अन्य शासकीय अवकाश के दिनों में शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में निवासरत बच्चों की पृथक एवं आरामदायक/रचनात्मक गतिविधियां होने से निरीक्षण/ भ्रमण किया जाना अपेक्षित नहीं है विशेष परिस्थितियों में या संस्थाओं में गठित गंभीर घटनाओं के सम्बंध में किसी भी दिवस निरीक्षण किया जा सकता है।
25. संस्था में भ्रमण गहन एवं सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुये किया जाये जिससे संस्था की गुणवत्ता में सुधार हो एक दिवस में, दो से अधिक संस्थाओं में भ्रमण अपेक्षित नहीं है।
26. बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड हेतु कार्यालयीन ई–मेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर निर्धारित होना चाहिये।
27. समिति एवं बोर्ड के सदस्यों के मध्य आपसी समन्वय होना आवश्यक है, ताकि वह बालहित में किये जाने वाले कार्य प्रभावित न हो।
28. बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड में महिला सदस्य भी कार्यरत होती है। समिति एवं बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य आपस में सम्मानजनक एवं गरिमापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करें।

आयुक्त
महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्यप्रदेश
24.4.23